



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502



16 नवंबर 2021

**वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) उच्च जोखिम और निगरानी
के अधीन अन्य क्षेत्राधिकार - 21 अक्टूबर 2021**

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) ने दिनांक 21 अक्टूबर 2021 के सार्वजनिक दस्तावेज़ 'कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिमवाले क्षेत्राधिकार' के द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी इन क्षेत्राधिकारों से संबंधित विवरण का संदर्भ लें।

एफएटीएफ ने आगे निम्नलिखित क्षेत्राधिकारों की पहचान की है जिनमें कार्यनीतिक कमियां हैं और इनके निपटान के लिए एफएटीएफ के साथ एक कार्ययोजना विकसित की गई है। ये क्षेत्राधिकार हैं— अल्बानिया, बार्बाडोस, बर्किना फासो, बोत्सवाना, कंबोडिया, केमैन आइलैंड्स, हैती, जमैका, माल्टा, मॉरीशस, मोरक्को, म्यानमार, निकारगुआ, पाकिस्तान, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण सूडान, सीरिया, युगांडा, यमन और ज़िम्बाब्वे। सार्वजनिक विवरण के अनुसार, अक्टूबर 2021 के एफएटीएफ प्लेनरी में लिए गए निर्णय के आधार पर जॉर्डन, माली और तुर्की को अब बढ़ती निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार सूची में शामिल किया गया है। आगे, सार्वजनिक विवरण के अनुसार, बोत्सवाना और मॉरीशस को बढ़ती निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार सूची से हटा दिया गया है। एफएटीएफ प्लेनरी कार्यनीतिगत धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण के विरोध (सीएफटी) में आनेवाली कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों की पहचान और निवारण के लिए चल रहे अविरत प्रयासों के एक हिस्से के रूप में कार्यनीतिगत एएमएल/सीएफटी कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों के संबंध में 'कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिमवाले क्षेत्राधिकार' और 'बढ़ती निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार' शीर्षक से दस्तावेज़ जारी करती है। इस प्रकार की सूचना विनियमित संस्थाओं को उपर्युक्त देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ वैध व्यापार और कारोबारी लेनदेन को नहीं रोकती है।

यह सूचना 21 अक्टूबर 2021 को एफएटीएफ द्वारा जारी अद्यतित सार्वजनिक विवरण और दस्तावेज़ में उपलब्ध है। इस विवरण और दस्तावेज़ को निम्नलिखित यूआरएल से एक्सेस किया जा सकता है:

1. <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2021.html>
2. <http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2021.html>
3. <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-october-2021.html>

एफएटीएफ के बारे में

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना इसके सदस्य क्षेत्राधिकारों के मंत्रियों द्वारा 1989 में की गई थी। एफएटीएफ का उद्देश्य काले धन की वैधता, आतंकवाद के वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से लड़ने के लिए मानक निर्धारित करना और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। एफएटीएफ आवश्यक उपायों को लागू करने में अपने सदस्यों की प्रगति की निगरानी करता है, काले धन की वैधता और आतंकवाद के वित्तपोषण की तकनीकों तथा प्रतिपक्षीय उपायों की समीक्षा करता है और वैश्विक रूप से उचित उपायों को अपनाने और उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। एफएटीएफ निर्णय निर्माण निकाय, एफएटीएफ प्लेनरी, वर्ष में तीन बैठक करता है और इन विवरणों को अद्यतन करता है, जिसे कृपया नोट किया जाए।

प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/1208

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)